

11/3/25

पत्तावली आज पेश हुई। प्रायोगिक व इसके अधिकारिता अनुपातिक। मूल वाड का निस्तारण हो चुका है। मूल वाड का निस्तारण होने से इकत लगान प्रार्थना पत्र अलग से चले जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः मूल वाड के साथ-साथ प्रार्थना पत्र भी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्तावली फ़ैसल शुमार लेकर दाखिले इफ़तर हो एवम् नम्बर से कम है।

सहायक कलक्टर  
(फ़ास्ट-ट्रेक) चौहटन

